भारतीय रिज़र्व बैंक
Reserve Bank of India

पवि.जय.सं. S-471/09.12.002/2024-25

21 अक्तूबर 2024

गोपनीय
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सवाई माधोपुर अर्बन को. आपरेटिव बैंक लिमिटेड, सवाई माधोपुर, राजस्थान
प्रधान कार्यालय- मुख्य बाजार, बजरिया,
सवाई माधोपुर-322001 (राज.)

महोदया/महोदय,

वर्ष 2024-25 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति

कृपया उक्त विषय पर दिनांक 11 अक्तूबर 2024 के अपने ईमेल का संदर्भ लें।

2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30(1ए) के अनुसार, हम वर्ष **2024-25** के लिए आपके बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में **मेसर्स चित्तौडा एंड कंपनी (FRN 006299C)** की **प्रथम वर्ष** के लिए नियुक्ति हेतु भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का पूर्व अनुमोदन प्रदान करते हैं।

3. बैंक, सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति से पहले यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करे कि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के अभिलेखों में उपर्युक्त लेखापरीक्षा फर्म के पेशेवर आचरण आदि के

CONFIDENTIAL
Chief Executive Officer
Sawai Madhopur Urban Co-operative Bank Limited, Sawai Madhopur, Rajasthan
H.O- Main Market, Bazaria,
Sawai Madhopur-322001 (Raj.)

Madam/Dear Sir,

Appointment of Statutory Auditor for the FY 2024-25

Please refer to your email dated October 11, 2024 on the captioned subject.

2. In terms of Section 30(1A) of the Banking Regulation Act, 1949, we hereby convey prior approval of the Reserve Bank of India (RBI) for the appointment of **M/s CHITTORA & CO. (FRN 006299C)** as the statutory auditor of your bank for the **FY 2024-25** for their **first year**.

3. The bank should invariably ensure, prior to appointment of statutory auditor, that there are no adverse remarks/ disciplinary actions taken in respect of professional conduct, etc.,

पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, तृतीय तल, राम बाग सर्किल, टोंक रोड, जयपुर- 302004, राजस्थान
टेलि. : 0141-2573201, ईमेल: dosjaipur@rbi.org.in, वेबसाइट: www.rbi.org.in

Department of Supervision, Reserve Bank of India, 3rd Floor, Ram Bagh Circle, Tonk Road, Jaipur-302004, Rajasthan.
Tel.:0141-2573201, Email: dosjaipur@rbi.org.in,, Website: www.rbi.org.in

हिन्दी आसान है इसका उपयोग बढ़ाइए

संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी/अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु उन्हें अपात्र माना जाए। इसके अलावा, सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति से पहले राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) की वेबसाइट (अधिसूचना अनुभाग के तहत, विशेष रूप से एक्यूआर रिपोर्ट और आदेश) देख सकते है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उक्त ऑडिट फर्म के खिलाफ एनएफआरए द्वारा ऐसी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, जो उन्हें लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य बना देगी।

4. सांविधिक लेखा परीक्षकों को जारी किए जाने वाले नियुक्ति पत्र के नियम और शर्तों में शामिल किए जाने वाले सामान्य निर्देश और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के लिए प्रमाणन/रिपोर्टिंग आवश्यकताएं यथासमय अग्रेषित की जाएंगी।

on the records of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) against the aforesaid audit firm which would make them ineligible for appointment as auditor. Further, the bank should peruse the website (under notification section, specially w.r.t. AQR reports and Orders) of the National Financial Reporting Authority (NFRA), prior to appointment of statutory auditor, to ascertain whether disciplinary action, if any, has been taken by the NFRA against the aforesaid audit firms which would make them ineligible for appointment as auditor.

4. The general instructions to be incorporated in the terms and conditions of appointment letter to be issued to the Statutory Auditors and the Certification/Reporting Requirements for the statutory auditors for FY 2024-25 will be forwarded in due course.

भवदीय/ Yours faithfully,

(जे. एस. के. रावत / J. S. K. Rawat)
उप महाप्रबंधक / Deputy General Manager